जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211 / 38–5–2010–20 स्वजल / 2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक दिनांक **16.10.2021** को जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ
2. जिला विकास अधिकारी, मेरठ – सदस्य
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ – सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ – सदस्य
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ। – सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मेरठ – सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ – सदस्य
8. निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ – सदस्य
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ – सदस्य
10. समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ – सदस्य
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ – सदस्य
13. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ – सदस्य
– सदस्य (सचिव)

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी0पी0आर0 विरचन कार्य :–

श्री अकांशु सिंह, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर–1–2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार 37 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें से 04 नग डी0पी0आर0 को पुनरीक्षित कर पुनः प्रेषित की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु0 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में प्राप्त 37 विस्तृत प्राक्कलनों में से 34 योजनाओं के प्राक्कलन रु0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त 34 नग विस्तृत प्राक्कलनों की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, मेरठ द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृत प्राक्कलनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मि–लित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभि–कल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	हस्तिनापुर	सैफपुर कर्मचन्द्रपुर	1	780	319.20	35.63	354.83	4355	
2	हस्तिनापुर	अकबरपुर गढ़ी	1	546	240.40	26.83	267.23	4842	
3	हस्तिनापुर	कुन्हैड़ा	1	501	277.09	30.92	308.01	5602	
4	हस्तिनापुर	रहमापुर	1	462	228.44	25.50	253.93	5573	
5	हस्तिनापुर	बस्तौरा नारंग	1	525	250.84	28.00	278.83	5648	
6	हस्तिनापुर	शाहपुर बटावली	2	1045	397.86	44.40	442.26	4609	• दिनांक 29.06.2021 को DWSM से पूर्व में अनुमोदित। • नवीन दिशा निर्देशों पर अर्हता हेतु निकटतम 2 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर पुनः प्रस्तुत। • बटावली ग्राम 236 ग्राम पंचायतों की सूची में सम्मिलित नहीं है।
7	परीक्षितगढ़	नंगला गुसाईं	1	746	270.33	30.17	300.50	3875	
8	परीक्षितगढ़	नारंगपुर खूँटी	1	776	317.17	35.40	352.57	5111	
9	परीक्षितगढ़	पूठ़ी	1	1206	438.61	48.95	487.56	4551	
10	परीक्षितगढ़	नीमका	1	539	239.23	26.70	265.93	5552	
11	परीक्षितगढ़	अहमदपुर उर्फ अमनपुरी	1	411	207.04	23.11	230.14	5403	
12	जानीखुर्द	सिसौला खुर्द	1	456	228.11	25.46	253.57	4721	
13	जानीखुर्द	गेझा	1	645	279.44	31.19	310.62	5635	
14	जानीखुर्द	किठौली	1	700	306.87	34.25	341.12	4727	
15	जानीखुर्द	कलंजरी	1	787	324.11	36.17	360.29	5034	
16	जानीखुर्द	ढढरा	1	787	308.16	34.39	342.55	5742	
17	जानीखुर्द	मौहम्मपुर धूमी	1	623	299.97	33.48	333.45	4995	
18	जानीखुर्द	डिमौली	1	464	207.68	23.18	230.86	5647	
19	जानीखुर्द	सतवई	1	648	285.17	31.83	317.00	5586	

20	जानीखुर्द	घाट	1	979	397.30	44.34	441.64	4442	
21	रजपुरा	फुनकुरा	1	618	294.89	32.91	327.80	5030	• दिनांक 29.06.2021 को DWSM से पूर्व में अनुमोदित। • नवीन दिशा निर्देशानुसार संशोधित कर पुन: प्रस्तुत।
22	रजपुरा	इस्लामाबाद छिलौरा	1	833	346.03	38.62	384.64	5672	
23	रजपुरा	जिटौली	1	457	247.54	27.63	275.16	5797	
24	रजपुरा	रजपुरा	1	1110	433.46	48.38	481.84	4810	
25	रजपुरा	खरदौनी शेखूपुर	1	1013	396.73	44.28	441.01	3858	
26	खरखौदा	नालपुर	1	511	304.29	33.96	338.25	5951	• दिनांक 29.06.2021 को DWSM से पूर्व में अनुमोदित। • नवीन दिशा निर्देशानुसार संशोधित कर पुन: प्रस्तुत।
27	रोहटा	मीरपुर	1	761	301.31	33.63	334.94	4791	
28	रोहटा	अरनावली	1	664	323.45	36.10	359.55	5951	
29	रोहटा	भोला	1	901	335.63	37.46	373.09	3624	
30	सरधना	झिटकरी	1	522	257.06	28.69	285.75	5681	• दिनांक 29.06.2021 एवं 02.06.2021 को DWSM से पूर्व में अनुमोदित। • नवीन दिशा निर्देशानुसार संशोधित कर पुन: प्रस्तुत।
31	सरधना	महादेव	1	776	316.80	35.36	352.16	5715	
32	सरूरपुरखुर्द	बहादुरपुर	1	734	308.18	34.39	342.57	5250	
33	सरूरपुरखुर्द	खेड़ी कलां	1	315	183.18	20.44	203.63	4828	
34	दौराला	मैल	1	1024	400.85	44.74	445.58	4633	

रु0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की निम्न 03 योजनाओं की डी0पी0आर0 की राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु **संस्तुति** करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया :–

क्र0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मि-लित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभि-कल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	सरूरपुरखुर्द	दबथुवा	1	1484	507.85	56.68	564.53	4386	
2	माछरा	भटीपुरा	1	1387	510.77	57.01	567.77	4419	
3	खरखौदा	बिजौली	1	1191	452.93	50.55	503.48	4680	

अध्यक्ष महोदय द्वारा गुणता प्रभावित ग्रामों के प्राक्कलन विरचन प्राथमिकता पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत समस्त स्वीकृत ग्रामों में कार्य स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

(iii) भूमि उपलब्धता :–

सदस्य (सचिव) द्वारा अवगत कराया गया कि खण्ड में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट JV भूरतनम कस्ट्रक्शनस, हैदराबाद के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा हैं। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	तहसील	कुल चिन्हित ग्राम जहाँ भूमि प्राप्त की जानी है	भूमि उपलब्धता	विवादित भूमि स्थल	अवशेष भूमि स्थल
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	88	86	4	2
2	मवाना	69	49	1	20
3	सरधना	66	50	3	16
कुल योग		223	185	8	38

अद्यतन प्राप्त सूचनानुसार कुल 8 नग भूमि विवादित हैं एवं 38 नग भूमि अनुपलब्ध हैं। अनुपलब्ध भूमि वाले ग्रामों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर अन्य ग्रामों में भूमि चयनित कर प्रस्ताव राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रस्तुत करने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये।

(iv) नमित सपोर्ट एजेन्सियों की गतिविधियाँ :–

- **जनपद मेरठ हेतु नामित आई0एस0ए0 :–**

1. मै0 सेफ एप्रोच, नई दिल्ली।
2. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली।

सदस्य (सचिव) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा योजनाओं के कार्यो के सम्पादन हेतु तथा ग्रामवासियों को FHTC लेने में प्रोत्साहित करने व Community Contribution हेतु प्रत्येक जनपद में Implementation Support Agency को नामित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के पत्रांक 2725 / W-314 / JJM-ISA / 2020-21 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार ISA द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात् संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक, जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणवत्ता नियन्त्रण एवं संचालन / अनुरक्षण हेतु प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 389 / पेय–97 / जे0जे0एम0 / 118 दिनांक 29.06.2021 द्वारा 2 कलस्टर इस कार्य हेतु निम्नानुसार आबंटित किये गये थे।

क्र0 सं0	नामित आई0एस0ए0 का नाम	आबंटित कलस्टर संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	मै0 सेफ एप्रोच, ई–99 भगवती गार्डन एक्सटेशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली	1	40
2	मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1 / 16, मीठापुर एक्सटेशन, साईनगर, बदरपुर, नई दिल्ली	2	40

वर्तमान में आई0एस0ए0 मै0 सेफ एप्रोच, ई–99 भगवती गार्डन एक्सटेशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली द्वारा उक्त कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की है, जिस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, राज्य

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अग्रिम दिशा–निर्देश हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त 147 ग्रामों को कलस्टर्स में विभाजित कर, जनपद में एकमात्र कार्यरत आई0एस0ए0 मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली को आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 1764/W-314 (Vol-5)/ 2021-21 दिनांक 04.10.2021, के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों का कलस्टर आबंटन नहीं किया गया है, उनमें VWSC गठन एवं VAP तैयार कर फीडिंग की कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जानी है, जिसकी सूचना कार्यालय पत्रांक 725 / पेय–73(ISA) / 44 दिनांक 06.10.2021 द्वारा सम्बन्धित को दी गयी है। समिति द्वारा VWSC / VAP हेतु वांछित कार्यवाही तत्परता से करने हेतु निर्देश दिये गये।

(v) प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त विकास खण्डों हेतु समस्त ग्राम पंचायत / क्षेत्रों की जल गुणवत्ता जांच एवं मॉनिटिरिंग हेतु WQMIS पोर्टल पर पंजिकृत करने के लिए प्रत्येक ग्राम से 05 महिला सदस्यों (एस0एच0जी0 / आशा / ए0एन0एम0 / आंगनबाडी) को नामित किये जाने के सम्बंध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपरोक्त कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं प्रत्येक ग्राम में 05 महिलाओं का चयन ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिवों के माध्यम से तत्काल कराने की अपेक्षा की गयी है। इन पांच महिलाओं में स्वयं सहायता समूहो की सदस्य, आशा, ए.एन.एम. आंगनबाडी कार्यकत्री, अध्यापिका तथा 03 अन्य कार्यकर्ता (ग्राम प्रधान, VWSC सदस्य, प्राइमरी अथवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, विज्ञान छात्रों में से कोई 03 सदस्य) सम्मिलित होंगे। इन आठ सक्रिय सदस्यों की ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर उपलब्ध कराया जाना है।

कैमीकल युक्त FTK तथा H_2S Vials की आपूर्ति उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मेरठ कार्यालय में प्राप्त हो गयी है, जिन्हें इस कार्यालय के पत्रांक 696 / पेय–41 / 29 दिनांक 01.10.2021 के क्रम में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त FTK तथा H_2S Vials का वैधता तिथि (6 माह) समाप्त होने से पूर्व इनका उपयोग किया जाना है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि FTK के उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु खण्ड विकास कार्यालय के किसी कार्मिक को उ0प्र0 जल निगम की जनपदीय प्रयोगशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजने की व्यवस्था करायें, ताकि उसके द्वारा FTK तथा H2S Vials के उपयोग हेतु विकास खण्ड के चयनित उपयोगकर्ताओं को वांछितानुसार प्रशिक्षित किया जा सकें एवं FTK तथा H2S Vials का वैधता तिथि समाप्त से पूर्व उपयोग कर शासन की योजना का क्रियान्वयन किया जा सकें। समिति द्वारा उक्त विषयक वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

16/10

अधिशासी अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ

Seen